

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*220

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

“तेलंगाना से आयकर विवरणियां दाखिल किया जाना”

\*220. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तेलंगाना से आयकर विवरणियां दाखिल करने वालों की संख्या वर्ष 2019-20 में 21.58 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 26.92 लाख हो गई है और इस संबंध में 15 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में, चार वर्षों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) तेलंगाना से और अधिक संख्या में आईटीआर दाखिल किए जाने से सरकार द्वारा लगाए जाने वाले संभावित अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा तेलंगाना को किस प्रकार सहायता दिए जाने और प्रेरित किए जाने की संभावना है जिससे वह देश की अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान कर सके तथा देश का विकास इंजन भी बन सके?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क)(ख) और (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“तेलंगाना से आयकर विवरणियां दाखिल किया जाना” के संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 220 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): तेलंगाना से आयकर विवरणी (आईटीआर) फाईलिंग वित्त वर्ष 2019-20 में 21.58 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.92 लाख हो गया गई है, जो चार वर्षों में 24.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आईटीआर वित्त वर्ष 2019-20 में 6.78 करोड़ से बढ़कर 7.78 करोड़ होने से वित्त वर्ष 2022-23 में 14.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ख): तेलंगाना में आईटीआर दाखिल करने में वृद्धि आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकीय घटनाक्रम, बेहतर कर अनुपालन आदि जैसे कारकों के संयोजन के कारण होगी।

(ग): सरकार तेलंगाना सहित सभी राज्य अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि को बहुत महत्व देती है, और आईटीआर फाईल करने में, जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, लागू की गई आर्थिक नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान देने के लिए, तेलंगाना सहित राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल मिलाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये का बजट इस योजना के लिए रखा गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों की कर हस्तांतरण की किश्तों को आगे बढ़ाया गया है ताकि वे पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें, अपने विकास संबंधी व्यय को वित्तपोषित कर सकें और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करा सकें।

.....